



डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

उत्तर प्रदेश सरकार

पत्राक 65 / पत्रा.सं०-1794 / D.S.M.N.R.U. / 2024-25

दिनांक 11/04/2025

Notification for adoption of University Grant Commission (Credit Framework for Online Learning Courses Through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulation-2021 for conducting SWAYAM based MOOCs

It is hereby notified that the University Grant Commission (Credit Framework for Online Learning Courses Through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulation-2021 has been adopted by the University through the approval accorded by the Academic Council in its 35th meeting held on 10.02.2025 (letter no. 191/पत्रा.सं०-568(द्वितीय)/डा. श.मि.रा.पु.वि./वि०परि० /2024-25 dated 25.02.2025, agenda point no. 3/35) and subsequent approval of Executive Council in its 47th meeting held on 01.03.2025 (letter no. 2358/फा० सं०-36(सप्तम)/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./कार्य परिषद/2024-25 dated 28.03.2025, agenda point no. 16/47), for conducting SWAYAM based Massive Open Online Courses (MOOCs) and maximum up to 40% of the total courses in a semester to be taken through online learning via SWAYAM platform shall be earmarked by the Board of Studies of the Department, if such courses are available as the MOOCs.

(Rohit Singh)
Registrar

C.C

1. P.S. to honourable Vice Chancellor.
2. Principals of all the affiliated colleges.
3. Dean, Academics.
4. All Deans of the Faculty.
5. All Heads of the Departments.
6. Controller of Examination.
7. System Analyst with instruction to upload it on University website.
8. Guard File.

(Rohit Singh)
Registrar

परीशिष्ट - 1
3/35

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032021-226123
CG-DL-E-25032021-226123

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]
No. 120]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

फा. सं. 1-100/2016 (एमओओसी/ई-सामग्री).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 12 के खंड (ज) के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञानार्जन पाठ्यक्रमों की क्रेडिट रूपरेखा) विनियम, 2016 का अधिक्रमण करते हुए, उन विषयों को छोड़कर जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने के लिए छोड़ा गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः—

1. लघु शीर्षक और प्रारम्भ:—(क) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महत्वाकांक्षी युवाओं हेतु सक्रिय-ज्ञानार्जन के अध्ययन वेब के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञानार्जन पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट रूपरेखा) विनियम, 2021 कहा जाएगा।

(ख) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग:—ये विनियम लागू होंगे—

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट किए अनुसार केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित या निगमित भारत के सभी विश्वविद्यालयों, ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा सम्बद्ध संस्थानों अथवा स्वायत्त महाविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध गैर-स्वायत्त महाविद्यालयों, और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालय, संस्थान अभिप्रेत है।

(ख) भारत में किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्थान में नामांकित विद्यार्थी के क्रेडिट अंतरण अभिप्रेत है।

3. परिभाषाएँ:— (1) इस विनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "शैक्षणिक परिषद" से विश्वविद्यालय या सम विश्वविद्यालय संस्थान की अकादमिक परिषद अथवा 'स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञानार्जन क्रेडिट पाठ्यक्रमों की अनुमति से संबंधित निर्णय सहित अकादमिक मामलों के संबंध में निर्णय लेने के लिए विधिवत शक्ति प्राप्त संस्थान या महाविद्यालय के अकादमिक निकाय अभिप्रेत है।
- (ख) "शैक्षणिक सत्र" से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी अथवा जुलाई, जैसा भी मामला हो, के महीने से आरंभ होने वाली बारह महीने की अवधि अभिप्रेत है।
- (ग) "अधिनियम" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) अभिप्रेत है।
- (घ) "पाठ्यक्रम" से एक पेपर अभिप्रेत है जिसे विषयों के एक भाग के रूप में कम से कम एक सत्र के लिए पढ़ाया जाता है।
- (ङ) "पाठ्यक्रम समन्वयक" से किसी शैक्षिक संस्थान के संकाय सदस्य और विषय विशेषज्ञ अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रीय समन्वयक द्वारा चिन्हित किया गया हो और दिए गए विषय में 'स्वयं' पाठ्यक्रम को विकसित करने और डिलीवर करने का कार्य सौंपा गया हो।
- (च) "क्रेडिट" से तात्पर्य उस इकाई को अर्जित करने से है, जिसके लिए विद्यार्थी ने उस इकाई के सन्दर्भ में ज्ञानार्जन के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए अध्ययन का निर्दिष्ट समय पूरा कर लिया है और एक क्रेडिट के लिए अध्ययन के प्रयास का तात्पर्य किसी विद्यार्थी द्वारा कक्षा के शिक्षण में लगने वाले पंद्रह घंटे के समय के बराबर समय उस इकाई की सामग्री को समझने के लिए व्यतीत किया गया हो।
- (छ) "क्रेडिट पाठ्यक्रम" से एक पाठ्यक्रम अभिप्रेत है जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम का पालन करता है और जिसके लिए इस विनियम के अंतर्गत क्रेडिट अंतरण की अनुमति प्राप्त है।
- (ज) "चतुर्थ पदीय दृष्टिकोण" से ई-ज्ञानार्जन प्रणाली अभिप्रेत है जिसके निम्नलिखित घटक हों, अर्थात्;
- i. पद-I एक ई-ट्यूटोरियल होगा जिसमें सुव्यवस्थित रूप में दृश्य और श्रव्य विषयवस्तु, एनिमेशन, सिमुलेशन, आभासी (वर्चुअल) लैब निहित हैं।
 - ii. पद-II एक विषयवस्तु होगी जिसमें ई-पुस्तकें/या शब्दावली, अध्ययन सामग्री, प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न, वीडियो व्याख्यान प्रतिलेखन और अन्य अध्ययन सामग्री निहित हैं।
 - iii. पद-III पाठ्यक्रम समन्वयकों और अन्य लोगों के साथ संदेह, राय और टिप्पणियों की चर्चा के लिए एक चर्चा मंच होगा।
 - iv. पद-IV एक स्वः मूल्यांकन होगा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न समस्याएं, प्रश्नोत्तरी, असाइनमेंट और समाधान होंगे।
- (झ) "उच्चतर शिक्षा संस्थान" का अर्थ है किसी केंद्रीय अधिनियम, किसी प्रांतीय अधिनियम या राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्थापित या गठित विश्वविद्यालय जिसे आयोग की धारा दो के खंड (च) के तहत संदर्भित किया जाता है, और एक ऐसी संस्था जिसे उक्त अधिनियम की धारा तीन के तहत सम विश्वविद्यालय माना जाता है, जो उच्च शिक्षा या अनुसंधान के क्षेत्र में पारंपरिक माध्यम से या मुक्त और दूरस्थ शिक्षा माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहा है।
- (ञ) "मेजबान संस्थान" जो उस विनियमित प्राधिकरण द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त या अनुमोदित उच्चतर शिक्षा संस्थान अभिप्रेत है, जिससे पाठ्यक्रम की पेशकश कर रहे पाठ्यक्रम समन्वयक का संबंध है।
- (ट) "वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम" से ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम अभिप्रेत हैं जो चतुर्थ पदीय दृष्टिकोण का पालन करते हुए शिक्षा शास्त्र के अनुसार विकसित किए जाते हैं।
- (ठ) "राष्ट्रीय समन्वयक से राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी या संस्थान अभिप्रेत हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को बनाने के समन्वय के प्रयोजन और किसी निर्दिष्ट विषय या ज्ञानार्जन के स्तर में उनकी गुणवत्ता और वितरण के पर्यवेक्षण के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हो।
- (ड) "मूल संस्थान" से वह उच्चतर शिक्षा संस्थान अभिप्रेत है जहां छात्र का नामांकन होता है।
- (ढ) "पर्यवेक्षणाधीन (प्रोक्टर्ड) परीक्षा" से अनुमोदित व्यक्ति या प्रौद्योगिकी सक्षम पर्यवेक्षण के अधीन आयोजित परीक्षा अभिप्रेत है जो परीक्षण लेने वाले की पहचान और परीक्षण लेने वाले परिवेश, या तो पेन-पेपर पद्धति में या कंप्यूटर आधारित परीक्षण पद्धति में या पूर्ण ऑनलाइन पद्धति में जैसा अनुमत हो सकता है, की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करती है।
- (ण) "कार्यक्रम" से एक डिप्लोमा सहित, स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम अभिप्रेत है।
- (त) "स्वयं बोर्ड" भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम 'स्वयं' और 'स्वयं प्रभा' कार्यक्रम की देखरेख के लिए गठित बोर्ड अभिप्रेत है।

- (थ) "स्वयं दिशानिर्देश" से तत्कालीन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, द्वारा 1 जून, 2017 को जारी 'स्वयं' के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को विकसित करने के लिए दिशानिर्देश, समय-समय पर यथा संशोधित, अभिप्रेत हैं।
- (द) "स्वयं मंच" से ऑनलाइन ज्ञानार्जन पाठ्यक्रमों की पेशकश के प्रयोजन से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित और कार्यात्मक सूचना प्रौद्योगिकी मंच अभिप्रेत है।
- (2) ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों का जिनका कोई अर्थ परिभाषित नहीं किया गया है, उन्हें क्रमानुसार दिए गए विनियम में प्रयुक्त अर्थ के समान माना जाएगा।
4. 'स्वयं' आधारित ऑनलाइन ज्ञानार्जन पाठ्यक्रमः— (क) 'स्वयं' आधारित ऑनलाइन क्रेडिट पाठ्यक्रमों की अनुसूची को हर वर्ष के जनवरी और जुलाई सत्र से आरंभ होने वाले पारंपरिक शिक्षा सत्र के साथ श्रेणीबद्ध किया जाएगा।
- (ख) 'स्वयं' आधारित ऑनलाइन क्रेडिट पाठ्यक्रमों का विकास, वितरण और मूल्यांकन केवल पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जाएगा।
- (ग) राष्ट्रीय समन्वयक द्वारा 'स्वयं बोर्ड' के पूर्व अनुमोदन से 'स्वयं' दिशा-निर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम समन्वयक को चिन्हित किया जाएगा।
- (घ) पाठ्यक्रम समन्वयक मेजबान संस्थान के माध्यम से 'स्वयं' ऑनलाइन क्रेडिट पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगा जो क्रेडिट अंतरण के लिए अंतिम अवधि पर्यवेक्षण (प्रोक्टर्ड) परीक्षा के पश्चात ग्रेड के साथ प्रमाण पत्र जारी करेगा।
- (ङ) आगामी सत्र के लिए 'स्वयं' आधारित ऑनलाइन क्रेडिट पाठ्यक्रमों की सूची को प्रत्येक वर्ष जनवरी सत्र के लिए 01 नवंबर से पहले और जुलाई सत्र के लिए 1 जून से पहले 'स्वयं' मंच पर अधिसूचित किया जाएगा।
- (च) सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान 'स्वयं' आधारित ऑनलाइन क्रेडिट पाठ्यक्रमों की अधिसूचना की तारीख से चार सप्ताह के भीतर उप-विनियम (ङ) के अधीन इसके सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से विचार करेंगे, 'स्वयं मंच' के माध्यम से प्रदान किए जा रहे ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों और उनकी अकादमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उन पाठ्यक्रमों पर निर्णय लेंगे, जिसके क्रेडिट अंतरण के लिए वे अनुमति प्रदान करेंगे।
- (छ) उप-विनियम (च) में निहित होने के बावजूद, वे सभी संस्थान किसी विशिष्ट कार्यक्रम में ऑनलाइन ज्ञानार्जन क्रेडिट पाठ्यक्रम के माध्यम से एक सत्र में कुल पाठ्यक्रमों के चालीस प्रतिशत तक की ही अनुमति प्रदान कर सकते हैं, जैसा कि 'स्वयं मंच' के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
- (ज) शैक्षणिक परिषद अपने मूल संस्थान में छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट के अंतरण की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है।
- (झ) अकादमिक परिषद, विभाग के प्रमुख की सिफारिश पर क्रेडिट अंतरण के लिए 'स्वयं मंच' के द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट पाठ्यक्रमों को अनुमोदित प्रदान करने के लिए अकादमिक डीन या अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड को अनुमति प्रदान कर सकती है।
- (ञ) 'स्वयं मंच' द्वारा ऑनलाइन ज्ञानार्जन के उचित और सुचारु संचालन की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पाठ्यक्रमों को करने के लिए अनिवार्य भौतिक सुविधाओं जैसे कंप्यूटर सुविधाएं, पुस्तकालय आदि को मुफ्त और पर्याप्त मात्रा में, मूल संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- (ट) मूल संस्थान पंजीकरण से लेकर क्रेडिट पाठ्यक्रम के पूरा होने तक छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए एक संकाय सदस्य को सुविधा प्रदाता के रूप में नामित करेगा।
5. क्रेडिट-आधारित एमओओसी का मूल्यांकन और प्रमाणनः— (क) मेजबान संस्थान और पाठ्यक्रम समन्वयक, 'स्वयं मंच' पर प्रस्तुत किए गए क्रेडिट-आधारित एमओओसी के लिए पंजीकृत छात्रों के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (ख) किसी पाठ्यक्रम का अंतिम मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन और सत्र की अंतिम परीक्षा पर आधारित होगा और आंतरिक मूल्यांकन (अधिकतम तीस प्रतिशत अंकों के साथ) चर्चा मंचों, प्रश्नोत्तरी, असाइनमेंट, सत्रीय परीक्षाओं जैसे माध्यमों पर आधारित होगी और किसी पाठ्यक्रम की पूर्ण मूल्यांकन योजना की घोषणा पाठ्यक्रम के शुभारंभ के समय की जाएगी।
- (ग) सत्र की अंतिम परीक्षा हेतु ऑनलाइन पद्धति को प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते कि पाठ्यक्रम समन्वयकों को अंतिम परीक्षा संचालन की पद्धति अर्थात् ऑनलाइन या पेन और पेपर, के बारे में निर्णय करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा और पाठ्यक्रम की पेशकश करते समय पाठ्यक्रम की समीक्षा में इसकी घोषणा की जाएगी।
- (घ) सभी 'स्वयं' आधारित क्रेडिट पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम अवधि की पर्यवेक्षण (प्रोक्टर्ड) परीक्षा पूरे देश में या तो 'स्वयं बोर्ड' द्वारा या भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी।
- (ङ) परीक्षा के आयोजन और मूल्यांकन के पूरा होने के बाद, पाठ्यक्रम समन्वयक, घोषित मूल्यांकन योजना के अनुसार मेजबान संस्थान के माध्यम से अंक या ग्रेड प्रदान करेगा।

C-83

- (च) 'स्वयं' आधारित क्रेडिट पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के संबंध में एक प्रमाण पत्र पर राष्ट्रीय समन्वयक और मेजबान संस्थान के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सत्र की अंतिम परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि से चार सप्ताह के भीतर 'स्वयं मंच' पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- (छ) मूल संस्थान विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक या ग्रेड को अंक तालिका में शामिल करेगा जिसकी गणना विश्वविद्यालय/सम विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा डिग्री/डिप्लोमा के अंतिम अवार्ड के लिए की जाती है।
6. 'स्वयं' आधारित पाठ्यक्रमों की क्रेडिट गतिशीलता:— (क) मूल संस्थान कार्यक्रम की क्रेडिट योजना में, 'स्वयं मंच' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञानार्जन पाठ्यक्रमों द्वारा अर्जित क्रेडिट के लिए विद्यार्थी को क्रेडिट के समान महत्व देगा।
- (ख) कोई भी विश्वविद्यालय 'स्वयं मंच' के माध्यम से अर्जित पाठ्यक्रमों की क्रेडिट गतिशीलता के लिए किसी भी छात्र को इंकार नहीं करेगा।
7. 'स्वयं' आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों में निर्बाध एकीकरण के लिए आवश्यक संशोधन की आवश्यकता:— प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान आधिकारिक राजपत्र में इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवश्यक संशोधन करेगा, जैसा कि आवश्यक हो सकता है, उनके कानूनों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों में 'स्वयं' आधारित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से निर्बाध रूप से इन नियमों को अपनाने और शामिल करने के लिए आवश्यक हो।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./556/2020-21]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2021

No. F. 1-100/2016(MOOCs/e-content).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and in supersession of the UGC (Credit Framework for Online Learning Courses through SWAYAM) Regulations, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Application.— These regulations shall apply to,—

(a) all universities established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or State Act as referred to under clause (f) of section 2 of the University Grants Commission Act, 1956, institution or college recognised by or affiliated to such universities and an institution deemed to be university under section 3 of the said Act.

(b) the transfer of credits of such students who are enrolled in any higher education institution in India.

3. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) “academic council” means the academic council of the university or institution deemed to be a university or the academic body of the institution or college duly empowered to take decision regarding the academic matters including the decision regarding permitting online learning credit courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM);

(b) “academic session” means the duration of twelve months commencing either in the month of January or in the month of July, as the case may be, of every calendar year;

(c) “Act” means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

(d) “course” means a paper which is taught for at least one semester as a part of a subject;

C-85

- (e) "course-coordinator" means a faculty member and subject matter expert belonging to an higher education institution, identified and entrusted with the task of developing and delivering SWAYAM Course in a given subject by a National Coordinator;
 - (f) "credit" means the unit award gained as a learning outcome by a student by study efforts required to acquire the specified level of learning in respect of that unit and study effort for one credit means time required by a student to understand the contents equivalent to fifteen hours classroom teaching;
 - (g) "credit course" means a course which follows an academic curriculum and for which credit transfer is permissible under these regulations;
 - (h) "four quadrant approach" means the e-learning system that has the following components, namely:-
 - (i) Quadrant-I, which shall be an e-Tutorial containing video and audio content in an organised form, animations, simulations, virtual labs;
 - (ii) Quadrant-II, which shall be an e-Content containing e-Books or glossary, case study, frequently asked questions transcriptions of video lectures and any other study materials;
 - (iii) Quadrant-III, which shall be a discussion forum, for discussion of doubts, opinions and comments with course-coordinators and others;
 - (iv) Quadrant-IV, which shall be a self-assessment process that shall contain multiple choice questions, problems, quizzes, assignments and solutions;
 - (i) "higher education institution" means a university established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or State Act as referred to under clause (f) of section 2 of the Act, institution or college recognised by or affiliated to such university and an institution deemed to be a university under section 3 of the Act which is offering programmes through conventional mode or through open and distance learning mode or through online mode, in the area of higher education or research therein;
 - (j) "Host Institution" means the higher education institution duly recognised or approved by the regulating authority, to which the course-coordinator offering the course belongs;
 - (k) "Massive Open Online Courses (MOOCs)" mean such online courses which are developed as per the pedagogy following the four quadrant approach;
 - (l) "National Coordinator" means a National level agency or institution designated as such by the Central Government, for the purpose of coordinating the production of the online courses and for overseeing their quality and delivery in a designated discipline or level of learning;
 - (m) "parent institution" means the higher education institution where the student is enrolled;
 - (n) "proctored examination" means the examination conducted under the supervision of approved person or technology enabled proctoring which ensures the identity of the test taker and the integrity of the test taking environment, either in pen-paper mode or in computer based testing mode or in full-fledged online mode, as may be permissible;
 - (o) "programme" includes a diploma, undergraduate or postgraduate degree programme;
 - (p) "SWAYAM Board" means the board constituted by the Government of India in the Ministry of Education to oversee Massive Open Online Courses, SWAYAM and SWAYAM Prabha programmes;
 - (q) "SWAYAM guidelines" means the guidelines for developing online courses for SWAYAM programmes issued on the 1st June, 2017 by the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Human Resource Development and as amended from time to time;
 - (r) "SWAYAM platform" means an Information Technology platform developed and made functional by the Government of India in the Ministry of Education, for the purpose of offering online learning courses.
- (2) Words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the same meanings as respectively, assigned to them in the Act.

4. **SWAYAM based online credit courses.-** (1) The schedule of the SWAYAM based online credit courses shall be aligned with the conventional education semester commencing in the month of January and July of every year.
- (2) The SWAYAM based online credit courses shall be developed, delivered and assessed only by the course-coordinator.
- (3) The course and course-coordinator shall be identified by the National Coordinator in accordance with the SWAYAM guidelines with the prior approval of the SWAYAM Board.
- (4) The course-coordinator shall offer the SWAYAM based online credit courses through the Host Institution which shall issue the certificate with grades after the end term proctored examination for credit transfer.
- (5) The list of SWAYAM based online credit courses for the ensuing semester shall be notified on the SWAYAM platform before the 1st November for the January semester and before the 1st June for the July semester, every year.
- (6) All higher education institutions shall within four weeks from the date of notification of the SWAYAM based online credit courses under sub-regulation (5) shall consider through their competent authority the online learning courses which may be offered through the SWAYAM platform; and keeping in view their academic requirements shall decide upon the courses which they shall permit for credit transfer.
- (7) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (6), the higher education institution may allow only up to forty per cent. of the total courses, being offered in a particular programme in a semester, through the online credit course, through the SWAYAM platform.
- (8) The academic council may expedite the process of transfer of credit earned by the student at their parent institution.
- (9) The academic council may allow the Dean (Academics) or Chairman, Board of Studies, to approve the online credit courses of SWAYAM platform for credit transfer on the recommendation of the Head of the Department.
- (10) For proper and smooth conduct of the online learning of credit course offered on SWAYAM platform, the parent institution shall ensure that the physical infrastructures viz, computer facilities, library, etc, essential for pursuing such courses are made available for free and in adequate measure.
- (11) The parent institution shall designate a faculty member as a facilitator to guide the students from registration till completion of the credit course.
5. **Evaluation and certification of credit-based MOOCs.-** (1) The Host Institution and the course-coordinator shall be responsible for evaluating the student registered for the credit-based MOOCs offered on SWAYAM platform.
- (2) The final evaluation of a course shall be based on internal assessment and semester end examination and the internal assessment (with a maximum of thirty per cent. marks) based on instruments such as discussion forums, quizzes, assignments, sessional examinations and the complete evaluation scheme of a course shall be announced at the time of launch of the course.
- (3) Online semester end examination shall be the preferred mode provided that the course-coordinator shall be authorised to decide on the mode of conducting the final examination, either through online mode or pen and paper mode and this shall be announced in the overview of the course at the time of offering of the course.
- (4) The term end proctored examination for all the SWAYAM based credit courses shall be conducted either by the SWAYAM Board or by any other agency authorised by the Government of India in the Ministry of Education, across the country.
- (5) After conduct of the examination and completion of evaluation, the course-coordinator, through the Host Institution, shall award marks or grades, as per the evaluation scheme announced.
- (6) A certificate regarding successful completion of the SWAYAM based credit course shall be signed by the National Coordinator and authorised signatory of the Host Institution and shall be made available on

C-83

SWAYAM platform within four weeks from the date of declaration of the semester end examination result.

(7) The parent institution shall incorporate the marks or grades obtained by the student in the marks sheet that counts for final award of the degree or diploma by the university or Institution deemed to be a university.

6. **Credit Mobility of SWAYAM based Courses.-** (1) The parent institution shall give the equivalent credit weightage to the student for the credits earned *vide* online learning credit courses through SWAYAM platform, in the credit plan of the programme.

(2) No university shall refuse any student for credit mobility of courses earned through SWAYAM platform.

7. **Amendments in rules and regulations for seamless integration through SWAYAM based online courses.-** Every higher education institution shall within four weeks from the date of publication of these regulations in the Official Gazette make the necessary amendments, as may be required, in their statutes, ordinances, rules and regulations to adopt and incorporate the provisions of these regulations for seamless integration through SWAYAM based online courses.

Prof. RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./556/2020-21]